

● उपस्थिति :-

1. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. डॉ0 ईश्वरचन्द्र शर्मा, अपर समाहर्ता, मुंगेर।
3. डॉ0 रविन्द्र नाथ, प्रभारी पदा0, बन्दोवस्त, मुंगेर।
4. मो0 अमजद अली, निदेशक, एन0ई0पी0, मुंगेर।
5. मो0 नजीर अहमद, जिला परिवहन पदा0, मुंगेर।
6. श्री सुखदेव प्रसाद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुंगेर।
7. श्रीमती प्रतिभा कुमारी, वरीय उपसमाहर्ता, मुंगेर।
8. श्री विजय कुमार, वरीय उपसमाहर्ता, मुंगेर।
9. श्री अमिताभ गुप्ता, वरीय उपसमाहर्ता, मुंगेर।
10. श्री राजेन्द्र दास, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर।
11. श्री ज्ञानेश्वर प्रकाश, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर।
12. श्री कुमार प्रेमनाथ, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
13. मु0 खिलाफल अंसारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
14. श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर।

● अवकाश अथवा अन्य विशेष कारण से अनुपस्थित पदाधिकारी :-

15. श्री श्यामानन्द झा, अपर समाहर्ता, विभागीय जॉच, मुंगेर।
16. श्री प्रभात कुमार सिन्हा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर।
17. श्री नागेन्द्र कुमार सिंह, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
18. श्री जैनेन्द्र कुमार, निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर।
19. श्री अनिल राय, उप निर्वाचन पदाधिकारी, मुंगेर।
20. श्री अशीष कुमार बरियार, वरीय उपसमाहर्ता, मुंगेर। (अनाधिकृत अनुपस्थित)
21. श्री कुमार प्रशान्त, खास महाल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।
22. श्री चन्द्र किशोर वैद्य, जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।

सर्वप्रथम उपस्थिति की समीक्षा के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि श्री आशीष कुमार बरियार, वरीय उपसमाहर्ता, मुंगेर अपने अवकाश अवधि समाप्ति के उपरान्त आज की निर्धारित बैठक में उपस्थित नहीं हुए, जिससे स्पष्ट है वे अवकाश अवधि समाप्ति के उपरान्त मुख्यालय वापस नहीं लौटे हैं। उनका यह कृत्य सरकारी सेवक आचरण के प्रतिकूल है, अतएव वे कार्यवाही प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर इस संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं इस कृत्य के लिए आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ की जाए? तत्पश्चात् सरकार की महत्वाकांक्षी एवं प्राथमिकता आधारित कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई एवं योजनाओं के उत्तरोत्तर एवं गुणात्मक वृद्धि हेतु निम्न निदेश दिए गए :-

1. सभी प्रखंड-सह-अंचल के वरीय पदाधिकारी (Mentor) को निदेश दिया जाता है कि प्रखंड स्तर पर निर्वाचन संबंधी सभी प्रकार के भुगतान हेतु लंबित राशि का आकलन कर मांग पत्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यह विशेष ध्यान दिया जाए कि वाहन के ईंधन मद की राशि का भुगतान प्रखंड स्तर पर नहीं होना है, अपितु जिला स्तर पर चयनित तीन श्रेणी, यथा-सी0पी0एम0एफ0, मतदान दल एवं पुलिस दल हेतु उपयोग में लाए गए वाहनों के आधार पर किया जाएगा, परन्तु प्रखंड विकास पदाधिकारी, निर्वाचन कार्य में प्रयुक्त वाहनों के ईंधन के अभिश्रव के साथ यह प्रमाण पत्र अवश्य देंगे कि किन वाहनों का प्रयोग निर्वाचन के किन कार्यों हेतु किया गया था। तत्पश्चात् जिला परिवहन पदाधिकारी प्रखंडों से प्राप्त अभिश्रवों के आधार पर भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित कराएँगे।
2. प्रखंड-सह-अंचल के वरीय पदाधिकारी (Mentor) अपने अनुश्रवण में वित्तीय वर्ष 2013-14 में अक्टूबर, 2013 से मार्च, 2014 तक के प्राप्त सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद की राशि का भुगतान पंचायतवार शिविर लगाकर शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराएँगे।

3. इसके साथ ही छात्रवृत्ति, पेंशन, पोशाक, साईकिल इत्यादि योजनाओं की भी गहन जाँच कर शत-प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित कराएँगे।
4. **RTPS :-** लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के सफल संचालन हेतु नोडल पदाधिकारी (Mentor) अंचल का नियमित निरीक्षण कर अधोलिखित बिन्दुओं पर स्पष्ट रूप से समीक्षा करेंगे :-
 - कतिपय प्रतिवेदनों से यह परिलक्षित होता है कि काफी संख्या में प्राप्त आवेदनों (विशेषकर दाखिल-खारिज) को बिना कारण स्पष्ट किए अस्वीकृत कर दिया जाता है तथा दाखिल खारिज के प्राप्त आवेदन की स्वीकृति तिथि को ही निष्पादित मान लिया जाता है, जो उचित नहीं है। अतः नोडल पदाधिकारी भ्रमण के दौरान Expire/Reject आवेदनों तथा भौतिक रूप से निष्पादित आवेदनों की गहन जाँच करते हुए दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।
 - आर0टी0पी0एस0 अधिनियम के अन्तर्गत जिन कर्मियों पर दण्ड स्वरूप राशि अधिरोपित की गई है, उनसे शत-प्रतिशत राशि की वसूली सुनिश्चित कर प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।
 - RTPS काउण्टर के आस-पास दलाली व्यवस्था पूर्णरूपेण बंद करने हेतु कार्यालय खुलने के समय तथा बंद होने के पूर्व औचक निरीक्षण कर दलालों को पकड़कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे।
 - आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर सभी RTPS स्थलों का नियमित भ्रमण करेंगे तथा बैकलॉग सुधारने हेतु यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
5. जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मुंगेर को निदेश दिया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर लाभूकों की सूची, टी0एच0आर0 का मीनु इत्यादि का लेखन दीवार पर अवश्य कराया जाए।
6. इसके अतिरिक्त भीषण गर्मी को देखते हुए सभी सरकारी विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना के परिवर्तित समय प्रातः 6:30 बजे से 9:00 बजे पूर्वाह्न तक के अनुरूप टेक होम राशन के भी समय निर्धारण हेतु विभाग से अनुरोध किया जाए।

पूर्व साप्ताहिक बैठकों में प्रदत्त निदेशों के अनुपालन हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिए गए जिसका सारांश निम्न है :-


7. जिले में प्रा0स्वा0के0/अति0प्रा0स्वा0के0/आंगनबाड़ी केन्द्र/कला भवन/सामुदायिक भवन/पंचायत सरकार भवन/विद्यालय भवन/प्रखंड-सह-अंचल भवन/थाना भवन/लैंड बैंक/मनरेगा भवन इत्यादि के लिए भूमि उपलब्धता हेतु भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. पूर्व बैठक में प्रदत्त निदेश के आलोक में सहायक निदेशक सामाजिक, सुरक्षा, मुंगेर व्यक्तिगत रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि के वितरण कार्यक्रम एवं सभी प्रकार की गतिविधियों की वास्तविक समीक्षा करने हेतु सभी प्रखंडों का स्थलीय निरीक्षण कर संभावित त्रुटियों/कर्मियों का निराकरण कराएँगे। उक्त निदेश का अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है। अतः पूर्व प्रदत्त निदेश का अनुपालन हरहाल में किया जाए तथा स्थलीय निरीक्षण के दौरान यह विशेष समीक्षा की जाए कि किन पंचायत सचिवों के पास सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि समायोजन हेतु अभी भी लंबित है। तत्पश्चात् उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।
9. यह सर्वविदित है कि दाखिल-खारिज मामलों के अपीलीय प्राधिकार भूमि सुधार उपसमाहर्ता होते हैं, परन्तु किसी भी भूमि सुधार उपसमाहर्ता द्वारा कालबाधित आवेदन पत्रों के मामले में दण्ड स्वरूप कोई राशि वसूल नहीं की जा रही है। अतएव निदेश दिया गया कि कालबाधित आवेदन पत्रों के दाखिल-खारिज आवेदन पत्रों की समीक्षा करते हुए RTPS प्रावधानानुसार दण्ड अधिरोपित करने एवं राशि वसूलने की कार्रवाई करेंगे।

10. भू-अभिलेख कम्प्यूटाईजेशन अन्तर्गत विभागीय प्रपत्र-2 (रैयत का स्वघोषणा), प्रपत्र-3 (राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन) एवं प्रपत्र-4 (वैसे रैयत जिनके जमीन का सत्यापन नहीं हो पाया है), की भी जांच वरीय पदाधिकारी (Mentor) एवं अन्य टी0एच0आर0 दिवस एवं मनरेगा दिवस में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी करेंगे।
11. कबीर अन्येष्टि योजना एवं पारिवारिक लाभ योजना में प्रखंडों को उपावंटित राशि के विरुद्ध वितरण की स्थिति की भी जांच वरीय पदाधिकारी (Mentor) सुनिश्चित करेंगे।
12. टी0एच0आर0 एवं मनरेगा दिवस में जांच हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उपरोक्त दिवसों में विद्यालय/कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय/उत्प्रेरण केन्द्र/आंगनबाड़ी में संचालित मध्याह्न भोजन योजना/कन्या विवाह योजना/ सामाजिक सुरक्षा पेंशन/BRGF, 13वाँ वित्त आयोग, चतुर्थ वित्त आयोग, एकीकृत कार्य योजना (IAP), आपकी सरकार आपके द्वार इत्यादि की भी जांच अवश्य करें तथा अधोहस्ताक्षरी को वास्तविक वस्तुस्थिति संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराएँ ताकि दोषी कर्मियों/व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।
15. पूर्व सम्पन्न बैठक में निर्णित निदेश, यथा- प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्ता की अध्यक्षता में प्रत्येक सप्ताह वृहस्पतिवार को प्रखंड-सह-अंचल स्तरीय बैठक का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी की उपस्थिति में करेंगे जिसमें विशेषकर RTPS काउण्टर, कैशबुक का अद्यतन संधारण, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति, साईकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार वितरण, AC, DC बिल, स्वास्थ्यपरक योजना, हल्का कर्मचारी के कार्यों इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं की गहन समीक्षा करेंगे। इसी आलोक में आयुक्त, मुंगेर, प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 2388/वि0, दिनांक 31.05.13 के अनुरूप प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्ता (Mentor) को निदेश दिया गया था कि वे कम-से-कम एक दिन तत्काल साप्ताहिक बैठकों में निर्धारित तिथि वृहस्पतिवार को समीक्षा के लिए प्रखंड-सह-अंचल जाएंगे तथा समीक्षा कर एक प्रतिवेदन दूसरे दिन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे। परन्तु इसका शत-प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है। अतएव पुनश्च निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक वृहस्पतिवार को उक्त बैठक का आयोजन अपनी अध्यक्षता में करते हुए बैठक की कार्यवाही की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को बैठक के दो दिन पश्चात् निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे अपने कर्त्तव्य के प्रति तत्पर एवं कार्यकुशल नहीं हैं। सहजता हेतु उक्त बैठक में गहन समीक्षा हेतु निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख पुनश्च किया जाता है :-
 - लोक सेवा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सेवावार वितरण पंजी के अद्यतन संधारण एवं प्रावधानानुसार कार्य संपादन की जाँच करना।
 - सामाजिक सुरक्षा पेंशन अन्तर्गत प्रखंड/पंचायत स्तरीय कर्मियों द्वारा अग्रिम राशि प्राप्ति के पश्चात् विपत्र समर्पित न कर अपने पास ही रखे हुए हैं, जो गबन का मामला बनता है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले परिलक्षित होने पर निरीक्षण टिप्पणी में अंकित करते हुए दोषी पदाधिकारी/कर्मियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव देना।
 - वैसे पेंशनधारी, जिन्हें पूर्व में डाकघर के माध्यम से पेंशन की राशि का भुगतान होता था, परन्तु वर्तमान में किन्हीं कारणों से इन्हें पेंशन भुगतान नहीं हो रहा है तो ऐसे लाभुकों को पोस्ट ऑफिस के खाता संख्या/PPO संख्या के आधार पर वितरण पंजी के माध्यम से अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उचित पहचान कर भुगतान किया जाना।
 - बिहार शिक्षा परियोजना/सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यान्वित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा/जांच हेतु प्राथमिक/मध्य/उच्च विद्यालयों/कस्तूरबा गाँधी बालिका

विद्यालय/उत्प्रेरण केन्द्र का भी स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना।

- आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाओं, यथा-आंगनबाड़ी केन्द्र/भवन/केन्द्रों में कार्यान्वित योजनाओं/ सेविका/सहायिका के कार्य/पोषाहार की स्थिति की गहन समीक्षा/ स्थलीय निरीक्षण कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना।
16. विदित हो कि विभाग द्वारा सरकारी भूमि (शहरी) का सर्वेक्षण कर अतिक्रमण पाए जाने पर उक्त भूमि को अतिक्रमणमुक्त करते हुए घेराबन्दी कराने का निदेश प्राप्त हुआ है, जिसके लिए अधियाचना प्राप्त कर आवश्यकतानुसार राशि की मांग की जानी है। इस कार्य के लिए शहरी क्षेत्रान्तर्गत अंचल अधिकारी, यथा-सदर, जमालपुर, तारापुर एवं खड़गपुर को निदेश दिया जाता है कि बिना अनुमति प्राप्त किए सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाते हुए भा0द0वि0 की धारा 107 का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे। साथ ही अतिक्रमणमुक्त सरकारी भूमि की घेराबन्दी हेतु अधियाचना अपर समाहर्ता, मुंगेर को उपलब्ध करायेंगे। इस कार्य का पर्यवेक्षण अपर समाहर्ता, मुंगेर विशेष तौर पर करेंगे।
17. प्रभारी वरीय उपसमाहर्ता, जिला विकास शाखा को निदेश दिया गया कि सभी मदों के लंबित ए0सी0 विपत्रों के लिए डी0सी0 विपत्र तैयार कर समायोजन हेतु महालेखाकार को भेजने हेतु अपेक्षित कार्रवाई करेंगे।


अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक.....1100...../गो0,दिनांक...29/04/2014

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, मुंगेर/नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/अपर समाहर्ता, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी शाखा/कार्यालयों के वरीय पदाधिकारी/जिला जनसमपर्क पदाधिकारी, मुंगेर/आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।